रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08082022-238002
CG-DL-E-08082022-238002

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3569] नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 8, 2022/श्रावण 17, 1944
No. 3569] NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 8, 2022/SHRAVANA 17, 1944

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली **8 अगस्त, 2022**

सं. 25/2015–2020

विषयः– एचएस कोड 1101 के तहत मदों की निर्यात नीति में संशोधन।

का.आ. 3737(अ).—विदेश व्यापार नीति, 2015–20 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित यथा संशोधित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 की सं. 22) की धारा 5 के साथ पठित धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतदद्वारा आईटीसी (एचएस), अनुसूची–II, 2018 के एचएस कोड 1101 के तहत मदों की निर्यात नीति को निम्नानुसार संशोधित करती हैः

क्र. सं.	आईटीसी एचएस कोड	विवरण	मौजूदा निर्यात नीति	संशोधित निर्यात नीति
64	1101	गेहूं का आटा, मैदा, समोलिना (रवा/सिरगी), होलमील आटा और रिसलटैंट आटा	मुक्त। तथापि, गेहूं के आटे का निर्यात, गेहूं के निर्यात पर अंतर–मंत्रालयी समिति (आईएमसी) की सिफारिश के अधीन है।	मुक्त। तथापि, सभी मदों का निर्यात गेहूं के निर्यात को अनुमत करने हेतु गठित अंतर–मंत्रालयी समिति (आईएमसी) की सिफारिश के अधीन है।

				आईएमसी द्वारा अनुमोदित सभी शिपमेंटों का निर्यात, निर्यात निरीक्षण परिषद (ईआईसी) अथवा दिल्ली, मुम्बई, चेन्नै और कोलकाता स्थित इसकी ईआईए द्वारा गुणवत्ता प्रमाण–पत्र जारी किए जाने के अधीन अनुमत होगा।

2. **यह अधिसूचना दिनांक 14 अगस्त, 2022 से लागू होगी।** परिवर्ती व्यवस्था के संबंध में विदेश व्यापार नीति, 2015–20 के पैरा 1.05 के यथा अधीन प्रावधान इस अधिसूचना के अंतर्गत लागू नहीं होंगे। मैदा, समोलिना (रवा/सिरगी) की निम्नलिखित खेप दिनांक 8 अगस्त, 2022 से 14 अगस्त, 2022 तक की अवधि के दौरान निर्यात किए जाने हेतु अनुमत होगी।

(i) जहां पोत पर उपर्युक्त मदों का लदान इस अधिसूचना के लागू होने से पहले शुरू हो गया है और;

(ii) जहां उपर्युक्त खेप इस अधिसूचना के लागू होने से पहले सीमा शुल्क विभाग को सौंप दिया गया है और उनकी प्रणाली में पंजीकृत हो गया हो।

3. <u>इस अधिसूचना का प्रभाव</u>:

एसएच कोड 1101 के अंतर्गत मदों [गेहूं का आटा, मैदा, समोलिना (रवा/सिरगी), होलमील आटा और रिसलटैंट आटा] की निर्यात नीति 'मुक्त' रहेगी, परंतु निर्यात गेहूं के निर्यात को अनुमत करने हेतु गठित अंतर–मंत्रालयी समिति (आईएमसी) की सिफारिश के अधीन होगा। परिवर्ती व्यवस्था के संबंध में विदेश व्यापार नीति, 2015–20 के पैरा 1.05 के यथा अधीन प्रावधान इस अधिसूचना के अंतर्गत लागू नहीं होंगे। इन गदों की गुणवत्ता से संबंधित आवश्यक तौर–तरीकों को अलग से अधिसूचित किया जाएगा।

[फा. सं. 01/91/180/032/एएम–22/ईसी/पार्ट/ई–31336]

संतोष कुमार सारंगी, महानिदेशक विदेश व्यापार
और पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th August, 2022

No. 25/2015-2020

Subject : Amendment in Export Policy of items under HS Code 1101.

S.O. 3737(E).—The Central Government, in exercise of powers conferred by Section 3 read with section 5 of the Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992 (No. 22 of 1992), as amended, read with Para 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy, 2015-20, hereby amends export policy of items under HS code 1101 of ITC (HS), Schedule – II, 2018 as under:

S.No.	ITC HS Codes	Description	Existing Export Policy	**Revised Export Policy**
64	1101	Wheat Flour (Atta), Maida, Samolina (Rava / Sirgi), Wholemeal	Free. However, export of wheat flour (atta) is subject to recommendation of Inter- Ministerial	Free. However, export of all items is subject to recommendation of Inter-Ministerial Committee (IMC) constituted for allowing export of wheat.

		atta and resultant atta	Committee (IMC) on export of wheat.	Export of all the shipments approved by IMC shall be allowed subject to issuance of Quality Certificate by Export Inspection Council (EIC) or its EIAs at Delhi, Mumbai, Chennai and Kolkata.

2**.** **The Notification will come into effect from 14th of August, 2022**. The provisions as under Para 1.05 of the Foreign Trade Policy, 2015-2020 regarding transitional arrangement shall not be applicable under this Notification. During the period from 8th August, 2022 till 14th August, 2022 the following consignments of Maida, Samolina (Rava / Sirgi), will be allowed to be exported:

(i) where loading of above mentioned items on the ship has commenced before this Notification; and

(ii) where above mentioned consignment has been handed over to the Customs before this Notification and is registered in their system.

3. **<u>Effect of this Notification:</u>**

Export Policy of items [Wheat Flour (Atta), Maida, Samolina (Rava / Sirgi), Wholemeal atta and resultant atta] under HS Code 1101 remains 'Free', but export shall be subject to recommendation of Inter-Ministerial Committee (IMC) constituted for allowing export of wheat. The provisions as under Para 1.05 of the Foreign Trade Policy, 2015-2020 regarding transitional arrangement shall not be applicable under this Notification. Necessary modalities with regard to quality of these items will be notified separately.

[F. No. 01/91/180/032/AM22/EC/Pt,/E- 31336]

SANTOSH KUMAR SARANGI, Director General of Foreign Trade

& Ex-Officio Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2022.08.08 22:20:31 +05'30'